आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद सं0-84/2017

इम्तेयाज अहमद

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

07.06.2024

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 1147/2019 में दिनांक 26.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".......Having regard to the fact and circumstances of the case in the interest of justice, this Court deems it fit and proper to quash the order dated 15.02.2018 and 14.06.2018, passed in Revision case No. 84 of 2017 and Restoration case No. 54 of 2018 respectively and remand the matter back to the learned Court of Commissioner, Saran Division, Chapra, for being heard on merits, however, with a caveat to the effect that the petitioner shall file requisites etc. Within a period of four weeks from today and shall not take any adjournment, failing which the aforesaid revision case of the petitioner shall stand dismissed in default and the petitioner would not be entitled to avail any further remedy.

The writ petition stands allowed on the aforesaid terms"

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि वादी इम्तेयाज अहमद, पिता-स्व0 मोख्तार अहमद, ग्राम-हयौड़ी टेला-महुअल, थाना-हुसैनगंज द्वारा प्रवेज अहमद, पिता-मो0 असरफ, ग्राम-हयौड़ी, टेला-महुअल को विपक्षी बनाते हुए न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सीवान के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद सं0-40/16-17 दायर किया गया जिसमें अपर समाहर्ता, सीवान द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0-38/2013-14 में दिनांक 08.03.2014 को पारित आदेश को चुनौती दी गयी। वाद की विधिवत सुनवाई प्रारंभ की गयी तथा उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 30.05.2017 को आदेश पारित किया गया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा आयुक्त न्यायालय के स्तर पर जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षणवाद सं0-84/2017 दायर किया गया। वाद को दिनांक 07.09.2017 को सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया तथा 08.09.2017 को वादी के स्थगन आदेश की मांग को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालीय अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को नोटिश करने का आदेश दिया गया। परंतु वादी द्वारा इस स्तर पर Requisite प्रस्तुत न कर माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 14685/2017 दायर कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 20.11.2017 को

पारित आदेश में मामलें की सुनवाई तीन सप्ताह में पूर्ण करने का आदेश दिया गया। उक्त के अनुपालन में दिनांक 15.02.2018 को वाद की सुनवाई के क्रम में पाया गया कि दिनांक 08.09.2017 को दिए गए आदेश के आलोक में वादी द्वारा अब तक requisite प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके कारण वाद को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा आयुक्त न्यायालय के स्तर पर पुर्नस्थापन वाद सं0-54/2018 (जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-84/2017 से व्युत्पन्न) दायर किया गया, जिसे दिनांक 14.06.2018 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 1147/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि ग्राम-हथौड़ी अवस्थित खाता सं0-147, खेसरा सं0-2127 का रकबा 13 डी0 भूमि जो R.S. खतियान में गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है तथा खेसरा सं0-2332, रकबा 2 डी0 भूमि R.S खतियान में परती कदीम के रूप में दर्ज है को बंदोवस्ती वाद सं0-23/1988-89, दिनांक 13.10.92 द्वारा उनके पिता स्व0 मोख्तार अहमद के नाम से बंदोवस्त करते हुए जमाबंदी सं0-774 कायम की गयी थी। पिता की मृत्यु के पश्चात आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान भुगतान किया जाता रहा है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक का आवासीय मकान बना है, जहॉं वे लोग रहते हे।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि विपक्षी सं0-02, प्रवेज अहमद, पिता-मो0 असरफ, ग्राम-हथौड़ी टोला, थाना-हुसैनगंज, जिला-सिवान द्वारा अंचलाधिकारी, हुसैनगंज के समक्ष जमाबंदी सं0-774 को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया। जिसके क्रम में अपर समाहर्त्ता, सिवान द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-38/2013-14 संस्थित कर आवेदक के पिता के नाम से चल रहे जमाबंदी सं0-774 को रद्द कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध वादी द्वारा समाहर्त्ता, सिवान के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद सं0-40/16-17 दायर किया गया परंतु वाद के तथ्यों पर विचार किए बिना ही समाहर्त्ता, सिवान द्वारा उनके अपीलवाद को खारिज कर दिया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपर समाहर्त्ता, सिवान द्वारा जमाबंदी करेक्शन वाद सं0-38/2013-14 में दिनांक 08.03.2014 को पारित आदेश तथा समाहर्ता, सीवान द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद सं0-40/2016-17 में दिनांक 30.05.2017 को पारित आदेश में यह ध्यान नहीं दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा जमाबंदी कायम किए जाने

के पश्चात राजस्व पदाधिकारी द्वारा उक्त जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा Jagarnath Jha @ Jagarnath Jha Vs The State of Bihar & ors. में दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश को दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि लंबे समय से चले आ रहे जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार केवल सक्षम व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंत में कहा गया कि अपर समाहर्ता, सीवान एवं समाहर्ता, सीवान द्वारा कानून के स्थापित बिन्दुओं पर ध्यान दिए बिना ही आदेश पारित किया गया है, अतएव, उक्त त्रुटियुक्त आदेश को रद्द किया जाए तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाए।

5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने पिता के नाम से जमाबंदी सं0-774 कायम रहने के संबंध में किया गया दावा बिल्कुल गलत और तथ्यहीन है। आवेदक के पिता के पक्ष में किस भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती की गयी थी, इससे संबंधित कोई साक्ष्य आवेदक द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिस बंदोबस्ती वाद सं0-23/1988-89 को आवेदक अपने पक्ष में जमाबंदी सं0-774 कायम होने का आधार बताते है वह अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि आवेदक उच्च जाति के मुस्लिम समुदाय से है तथा तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार उच्च जाति के व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती की प्रक्रिया केवल सरकार के माध्यम से की जा सकती थी। आवेदक द्वारा जो बंदोबस्ती का पर्चा प्रस्तुत किया गया है उसपर संबंधित कार्यालय का सील नहीं लगा है और न ही उसपर सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर ही है, ऐसे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्चा संदेहास्पद है।

6. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में गैरमजरूआ मालिक परती कदीम करके दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग विपक्षी एवं स्थानीय निवासियों द्वारा मुख्य सड़क पर जाने हेतु पहुँच मार्ग (Approach road) के रूप में किया जाता रहा है। परंतु आवेदक के द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किए जाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुयी है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा वाद के सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जाय।

7. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि विपक्षी प्रवेज अहमद, पिता-मो0 असरफ द्वारा आवेदक के पिता के नाम से चल रहे जमाबंदी

सं0-774 को रद्द करने हेतु अंचल हुसैनगंज में आयोजित जनता दरबार में जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आलोक में मामलें की जाँच-पड़ताल प्रारंभ की गयी। इसी बीच विपक्षी प्रवेज अहमद द्वारा प्रस्तुत मामलें के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 7696/2005 दायर कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2011 को दिए गए observation में जिला पदाधिकारी, सिवान को मामले के संबंध में किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुचने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष विविध अपीलवाद सं0-18/13-14 प्रवेज अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य प्रारंभ किया गया। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 14.06.13/15.06.13 को पारित आदेश में आवेदक के पिता मोख्तार अहमद के नाम से निर्गत पर्चा को संदेहास्पद पाया गया। उक्त के आलोक में न्यायालय, अपर समाहर्ता, सिवान के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0-38/13-14 संस्थित कर कार्रवाई प्रारंभ की गयी तथा सुनवाई के पश्चात दिनांक 08.03.2014 को पारित आदेश में मौजा हथौड़ी, थाना सं0-237 अंचल-हुसैनगंज, जिला-सिवान अन्तर्गत खाता सं0-147, खेसरा सं0-2127, रकबा 13(तेरह) डी0 एवं खेसरा नं0-2332 रकबा-14 (चौदह) डी0 कुल 27 डी0 जमीन का मोख्तार अहमद, पिता-वकील अहमद के नाम सृजित जमाबंदी नं0-774 एवं मौजा-हथौड़ी थाना नं0-237 अंचल-हुसैनगंज, जिला-सिवान अन्तर्गत खाता नं0-147, खेसरा सं0-2127 रकबा-2 (दो) डी0 जमीन का मजहरूल अंसारी पिता स्व0 अली हसन अंसारी के नाम सृजित की गयी जमाबंदी नं0-771 को नियमानुकूल एवं विधि संगत नहीं होने के कारण अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया गया।

अपर समाहर्ता के उक्त अदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सीवान के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद सं0-40/16-17 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 30.05.2017 को पारित आदेश में निम्न न्यायालीय आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा गया।

8. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि प्रस्तुत वाद का मूल बिन्दु यह है कि आवेदक का पक्ष है कि लंबे समय से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि अपर समाहर्त्ता एवं समाहर्त्ता द्वारा अपने आदेश में माना गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी इस रूप में संदिग्ध है कि वह सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किया गया है, पर्चा पर अंचलाधिकारी के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है तथा पर्चा पर संबंधित कार्यालय का मुहर नहीं लगा है। इसके अलावा प्रश्नगत जमाबंदी से संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध भी नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध

कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

अपर समाहर्त्ता, सिवान एवं समाहर्त्ता, सिवान द्वारा पारित आदेश के सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्नांकित स्थिति स्पष्ट होती हैः-

(1) आवेदक के पिता के पक्ष में किस भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी की गयी थी, इससे संबंधित कोई साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) जिस बन्दोवस्ती वाद सं0-23/1988-89 को आवेदक अपने पक्ष में जमाबंदी सं0-774 कायम होने का आधार बताते है, वह अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(3) आवेदक सामान्य जाति के मुस्लिम वर्ग से है तथा तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार सामान्य जाति के व्यक्तियों के साथ भूमि बन्दोवस्ती की प्रक्रिया केवल सरकार के माध्यम से की जा सकती थी।

(4) आवेदक द्वारा जो बन्दोवस्ती का पर्चा प्रस्तुत किया गया है, उसपर सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर एवं सील नहीं है।

प्रस्तुत वाद में आवेदक का मुख्य पक्ष यह है कि लंबे समय से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया सकता है। अपर समाहर्त्ता, सिवान एवं समाहर्त्ता, सिवान द्वारा अपने आदेश में माना गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी इस रूप में संदिग्ध है कि वह सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किया गया है, पर्चा पर अंचलाधिकारी के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है तथा संबंधित कार्यालय का मुहर नहीं लगा है। उक्त कारण से आवेदक का यह दावा कि लंबे समय से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, स्वीकार योग्य नही है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलकर्त्ता द्वारा किए गए दावा के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में समाहर्त्ता, सारण द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपीलवाद सं0-40/16-17 में दिनांक 30.05.2017 को पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।